कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/21 दिनांक 01–7–22, 12–7–22 एवं 13–7–22 द्वारा पत्रांक शिविरा–प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल दिनांक 23–3–22 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/निजी/निर्देश/2022 दिनांकः 08.07.2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु गठित कमेटी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित अनुमोदित सूची का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अंकित सूची अनुसार कुल 45 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक एवं 19 सहायक कर्मचारी के पद अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया जाकर अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटन किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं ।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी ।
10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौति की जावेगी।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

17. मृतक कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है अतः प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर ही दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

19. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।

21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ–पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

22. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।

23. जिन प्रकरणो मे शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तो एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों मे कार्मिक विभाग के पत्र मे वर्णित शर्तो की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

Rajshan Education Department

24. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम–5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम–5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम–5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

25. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

Rajasthan Education Department

स्थिर पारिश्रमिक कनिष्ठ सहायक 14,600/–रू. मासिक (परिशिष्ठ–1)

क्र. सं.	आवेदक का नाम, जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृतक कार्मिक का कार्यरत जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	दिनेश कुमार 09.11.1978	पति	19.08.2021 कनिष्ठ सहायक	आरती जोशी, अध्यापिका	जोधपुर	जोधपुर
2	मुकेश 20.12.2002	पुत्र	25.03.2021 कनिष्ठ सहायक	मानाराम विश्नोई, अध्यापक	जोधपुर	जोधपुर
3	अनन्त पुरोहित 06.06.1994	पुत्र	16.10.2019 कनिष्ठ सहायक	रसाल पुरोहित व्याख्याता	जैसलमेर	जैसलमेर
4	प्रवीण सिंह 08.11.2003	पुत्र	01.01.2022 कनिष्ठ सहायक	पीथ सिंह प्रबोधक	जैसलमेर	जैसलमेर
5	त्रिलोक सिंह 25.08.2001	पुत्र	09.10.2020 कनिष्ठ सहायक	वीरेन्द्र कुमार अध्यापक	बून्दी	कोटा
6	पुष्पा चौधरी 10.10.1986	पत्नी	02.10.2021 कनिष्ठ सहायक	भूपेन्द्र चौधरी प्रबोधक	पाली	बाड़मेर
7	स्मृति सिद्ध 11.03.1996	पुत्री	29.01.2021 कनिष्ठ सहायक	मंजू रानी शर्मा अध्यापिका	जयपुर	जयपुर
8	मुदित मीणा 30.01.2002	पुत्र	29.03.2019 कनिष्ठ सहायक	चरण वर्मा अध्यापिका	जयपुर	जयपुर
9	रोहित कुमार जाटोलिया 07.07.1993	पुत्र	14.03.2022 कनिष्ठ सहायक	भींवाराम रैगर प्रबोधक	जयपुर	अजमेर
10	जतिन चौधरी 25.12.2003	पुत्र	11.01.2022 कनिष्ठ सहायक	संजय सिंह प्रबोधक	अलवर	अलवर
11	अनिल कुमार योगी 02.07.1994	पुत्र	09.04.2022 कनिष्ठ सहायक	शिवदयाल योगी प्रबोधक	अलवर	अलवर
12	सरला 06.08.1995	पत्नी	15.11.2021 कनिष्ठ सहायक	विकास यादव अध्यापक	अलवर	अलवर

13	वरुण गुप्ता 21.12.1999	पुत्र	18.12.2020 कनिष्ठ सहायक	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता अध्यापक	अलवर	अलवर
14	भवानी सिंह 01.05.2002	पुत्र	27.09.2021 कनिष्ठ सहायक	नखत सिंह राठौड प्रबोधक	जोधपुर	जोधपुर
15	सौरभ शर्मा 11.05.1996	पुत्र	21.09.2020 कनिष्ठ सहायक	शैलेन्द्र कुमार शर्मा सहायक कर्मचारी	अजमेर	अजमेर
16	लव कुमार गुर्जर 05.05.2002	पुत्र	12.01.2022 कनिष्ठ सहायक	रामरज सिंह प्रबोधक	धौलपुर	अलवर
17	सत्येन्द्र सिंह मीना, 16.09.1998	पुत्र	31.08.21 कनिष्ठ सहायक	भन्डारी लाल मीना शा.शि.	नागौर	अलवर
18	सोनु जोधा, 17.06.1993	पुत्री	28.09.2021 कनिष्ठ सहायक	पदमसिंह जोधा, शा.शि.	जालोर	जालौर
19	जोगेन्द्र कुमार सियाग 05.02.2000	पुत्र	16.09.2020 कनिष्ठ सहायक	पुराराम चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक	बाड़मेर	बाड़मेर
20	रूकैया बी बेलिम, 25.06.1983	पत्नी	22.11.2021 कनिष्ठ सहायक	आरिफ खान, प्रबोधक	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
21	भावना बामनिया, 02.11.2000	पुत्री	06.01.2021 कनिष्ठ सहायक	नाना लाल भाम्बी, वरिष्ठ अध्यापक	चित्तौडगढ	चित्तौड़गढ़
22	विकास, 06.06.1996	पुत्र	04.02.2022 कनिष्ठ सहायक	हम्वीर सिंह, अध्यापक	भरतपुर	भरतपुर
23	सुशील राव, 04.07.1988	पुत्र	15.02.2022 कनिष्ठ सहायक	संगीता राव, अध्यापक	झालावाड़	झालावाड
24	राजवेन्द्र सिंह 28.12.1992	भाई	09.11.2021 कनिष्ठ सहायक	अशोक कुमार, अध्यापक	बाडमेर	भरतपुर
25	रविन्द्र कुमार वर्मा, 31.01.1987	पुत्र	18.06.2021 कनिष्ठ सहायक	मदन लाल वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक	जयपुर	अजमेर
26	नवजोत सिंह, 01.03.2003	पुत्र	24.12.2021 कनिष्ठ सहायक	गुरदीप सिंह, प्रबोधक	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़
27	तनिष्क गुप्ता, 15.11.2001	पुत्र	28.05.2018 कनिष्ठ सहायक	बीना गुप्ता, अध्यापक	जयपुर	जयपुर
28	गणेश राम चौधरी, 13.07.1989	पुत्र	14.10.2021 कनिष्ठ सहायक	छोटू सहायक कर्मचारी	जयपुर	अजमेर
29	संतरा, 15.09.1991	पत्नी	21.10.2021 कनिष्ठ सहायक	धर्मेन्द्र मेहरिया, अध्यापक	नागौर	चूरू
30	अमन कुमार मीणा, 08.07.2003	पुत्र	16.08.2021 कनिष्ठ सहायक	सुनीता मीणा, अध्यापिका	दौसा	दौसा
31	देवेन्द्र कुमार गुर्जर, 10.07.1996	पुत्र	26.05.2021 कनिष्ठ सहायक	गिरधारी लाल गुर्जर, अध्यापक	जयपुर	जयपुर
32	पिस्ता स्वामी, 10.07.1992	पत्नी	21.10.2021 कनिष्ठ सहायक	सीताराम स्वामी, अध्यापक	जयपुर	झुंझुनू
33	हर्षा मेहर चन्दानी 19.11.1997	पुत्री	23.11.2020 कनिष्ठ सहायक	पुष्पलता जेतवानी, अध्यापिका	जयपुर	जयपुर
34	गिरिराज शर्मा, 10.10.1991	पुत्र	28.02.2019 कनिष्ठ सहायक	मनोज कुमार शर्मा, सहायक कर्मचारी	सीकर	झुंझुनू
35	विकास वैष्णव 14.06.1988	पुत्र	27.05.2021 कनिष्ठ सहायक	बगदीदास वैष्णव, शा.शि.	उदयपुर	उदयपुर
36	जमना देवी, 05.08.1992	पत्नी	08.07.2021 कनिष्ठ सहायक	कान्तिलाल मीणा अध्यापक	उदयपुर	उदयपुर
37	शम्भु सिंह डामोर, 13.04.1989	पति	05.07.2021 कनिष्ठ सहायक	ममता कुमारी मीणा, अध्यापक	उदयपुर	उदयपुर
38	सुरेन्द्र कुमार मीणा, 15.08.2001	पुत्र	29.10.2020 कनिष्ठ सहायक	देवीलाल मीणा वरिष्ठ अध्यापक	उदयपुर	उदयपुर
39	पृथ्वीराज सिंह चौहान 01.06.2001	पुत्र	29.03.2022 कनिष्ठ सहायक	पोपट सिंह चौहान, प्रबोधक	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा

Rajasthan Education Department

क्र. सं.	आवेदक का नाम, जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृतक कार्मिक का कार्यरत जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
40	सुर्या कुमारी ताबियार, 03.05.1985	पत्नी	02.02.2022 कनिष्ठ सहायक	नगेन्द्र लाल पारगी, अध्यापक	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
41	हार्दिक जाटव, 27.11.2000	पुत्र	20.01.2022 कनिष्ठ सहायक	बाबुलाल यादव, प्रबोधक	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
42	नोमानुल हक 10.07.1983	पुत्र	23.12.2021 कनिष्ठ सहायक	इनामुल हक, अध्यापक	करौली	दौसा
43	ललित कुमार 14.04.2002	पुत्र	28.05.2020 कनिष्ठ सहायक	मनोहर लाल मोबारसा अध्यापक	बाड़मेर	पाली
44	अरविन्द सिंह चारण 13.04.2002	पुत्र	19.02.2021 कनिष्ठ सहायक	प्रभूदान चारण अध्यापक	बाड़मेर	बाड़मेर
45	मनोज रैवाड़ 02.04.2003	पुत्र	05.01.2022 कनिष्ठ सहायक	भंवरलाल, प्रबोधक	सीकर	चूरू

स्थिर परिश्रमिक सहायक कर्मचारी 12,400/–रू. मासिक **(परिशिष्ठ–2)**

क्र. सं.	आवेदक का नाम, जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृतक कार्मिक का कार्यरत जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	कविता देवी 10.05.1987	पत्नी	23.11.2021 सहायक कर्मचारी	मान सिंह वर्मा अध्यापक	जोधपुर	अलवर
2	चित्रा सोनी 02.07.1975	पत्नी	28.09.2020 सहायक कर्मचारी	ललित सोनी अध्यापक	जयपुर	जयपुर
3	समद कंवर 03.03.1977	पत्नी	02.12.2021 सहायक कर्मचारी	धीर सिंह अध्यापक	जयपुर	जयपुर
4	विमला 01.01.1992	पत्नि	07.01.2022 सहायक कर्मचारी	कैलाश अध्यापक	जोधपुर	जोधपुर
5	लक्ष्मी मीना 07.07.1992	पत्नी	05.11.2020 सहायक कर्मचारी	गंगाराम मीना, प्रबोधक	दौसा	दौसा
6	देवकिशन मेघवाल 18.11.2002	पुत्र	08.07.2021 सहायक कर्मचारी	मोहन लाल मेघवाल प्रबोधक	राजसमन्द	राजसमन्द
7	लालीदेवी, 01.05.1978	पत्नी	19.01.2021 सहायक कर्मचारी	किशोर कुमार मीणा, अध्यापक	सीकर	जयपुर
8	इन्दिरा 01.01.1985	पत्नी	31.07.2021 सहायक कर्मचारी	रमेश चन्द्र निनामा अध्यापक	प्रतापगढ	बांसवाडा
9	रतन लाल बैरवा 14.08.1996	पुत्र	17.08.2021 सहायक कर्मचारी	धन्ना लाल चमार सहायक कर्मचारी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
10	कमल कुमार 20.06.1982	पुत्र	04.09.2013 सहायक कर्मचारी	रामलाल अध्यापक	नागौर	नागौर
11	नारायण सिंह 09.07.2001	पुत्र	24.01.2022 सहायक कर्मचारी	सुमेर सिंह प्रबोधक	जोधपुर	जोधपुर
12	मीरादेवी, 01.01.1985	पत्नी	22.12.2021 सहायक कर्मचारी	हंसराज गुर्जर, अध्यापक	सिरोही	अलवर
13	बापुलाल, 01.01.2004	पुत्र	11.01.2022 सहायक कर्मचारी	देवचन्द मईडा, प्रबोधक	बांसवाड़ा	बांसवाडा
14	निर्मला देवी 10.10.1969	पत्नी	14.08.2019 सहायक कर्मचारी	शंकर लाल बलाई, वरिष्ठ अध्यापक	प्रतापगढ	प्रतापगढ
15	राकेश कुमार मीणा, 01.01.1988	पुत्र	10.01.2022 सहायक कर्मचारी	जगदीश नारायण मीणा, सहायक कर्मचारी	जयपुर	जयपुर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

16	सुरजा गमेती, 04.07.1990	पत्नी	14.06.2021 सहायक कर्मचारी	लक्ष्मण लाल बाणेया, अध्यापक	उदयपुर	उदयपुर
17	गोविन्द लाल, 17.11.1996	पुत्र	08.06.2021 सहायक कर्मचारी	वजाराम गर्ग, प्रबोधक	जालोर	जालोर
18	राहुल सहरिया 19.08.1998	पुत्र	17.06.2020 सहायक कर्मचारी	राजेश कुमार सहरिया, अध्यापक	बारां	बारां
19	ओमप्रकाश 01.02.1997	पुत्र	12.02.2016 सहायक कर्मचारी	नखता राम, वरिष्ठ अध्यापक	जैसलमेर	जैसलमेर

परिशिष्ठ–1 के क्र.सं. 1, 2, 5, 19, 21, 30, 42, 43, 44, 45 व परिशिष्ठ–2 के क्र.सं. 10, 18, 19 पर अंकित प्रकरणों में शासन से शिथिलन प्राप्त है।

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्तिमूल/2022/281-286 दिनांक : 14-7-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, बीकानेर
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
9. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
10. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग
11. रक्षित पत्रावली

सत्यमेव जयते

14.07.2022
उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर